

// विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु सूचना सह आवेदन पत्र//

(दं.प्र0.सं.1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेशानुसार)

विवाह विवरण :-

दिनांक :-

मुख्य कार्यक्रम का पूरा पता :-

वर पक्ष का विवरण :-

वर का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	निवास का पता	मोबाईल नं0

वधू पक्ष का विवरण:-

वधू का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	निवास का पता	मोबाईल नं0

वर पक्ष से मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का विवरण:-

क्रं.	नाम	पिता का नाम	संबंध	निवास का पता	मोबाईल नंबर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

वधू पक्ष से मुख्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का विवरण:-

क्रं.	नाम	पिता का नाम	संबंध	निवास का पता	मोबाईल नंबर
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों का विवरण (मंडप/तिलक आदि)

वर पक्ष में

कार्यक्रम	स्थान	दिनांक

वधू पक्ष में

कार्यक्रम	स्थान	दिनांक

कार्यक्रम में सहयोगी अन्य व्यक्ति का विवरण (पंडित/टेंट/नाई/हलवाई आदि)

क्रं.	नाम	पिता का नाम	कार्य	निवास	मोबाईल नं.
1					
2					
3					
4					

//घोषणा//

मैं घोषणा करता हूँ कि जिस स्थान पर वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है उस स्थान पर किसी को भी होम क्वारनटाईन नहीं किया गया है और इस आवेदन में उल्लेखित समस्त व्यक्ति में से किसी भी व्यक्ति को होम क्वारनटाईन /संस्थागत क्वारनटाईन नहीं किया गया है। मेरे घर पर विवाह कार्यक्रम हेतु आवेदन प्रारूप में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। जानकारी गलत पाई जाने या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाया जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उल्लंघन माना जायेगा तथा मैं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होऊंगा।

पालक के हस्ताक्षर

नाम:-

स्थान:-

मोबाईल:-.....